


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेशः

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय के अन्तरिम निर्णय दिनांक: 20.07.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/16105/मुकुलिका शर्मा व अन्य/2019 दिनांक 11.08.2020 द्वारा श्रीमती शशि शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि रेडाना, गडरा रोड जिला बाडमेर का अन्तरिम समायोजन माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 केवाईडी, खाजूवाला जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया गया था।

श्रीमती शशि शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि केहरपुरा, चिडावा/राउमावि बुडाना/राउमावि पिथुसर, अलसीसर/राउमावि कालोटा, खेतडी/राउमावि हरडिया जिला झुन्झुनूं अथवा राउमावि झाडसर छोटा, तारानगर जिला चूरु में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर समायोजित किये जाने की मांग की गई।


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में एवं याचिकार्थी श्रीमती शशि शर्मा की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं विकट शारीरिक दशाओं को मद्देनजर रखते हुए उनका अन्तरिम समायोजन स्थान (राउमावि 22 केवाईडी, खाजूवाला जिला बीकानेर) संशोधित कर उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि झाडसर छोटा, तारानगर जिला चूरु में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्रीमती शशि शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/16105/मुकुलिका शर्मा व अन्य/2019 दिनांक: 17.08.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/चूरु संभाग, जोधपुर/चूरु।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाडमेर/चूरु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडमेर/चूरु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/16105/मुकुलिका शर्मा व अन्य/2019 दिनांक: 17.08.2020 द्वारा श्रीमती शशि शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि रेडाना, गडरा रोड जिला बाडमेर का अन्तरिम समायोजन स्थान (राउमावि 22 केवाईडी, खाजूवाला जिला बीकानेर) संशोधित कर उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि झाड़सर छोटा, तारानगर जिला चूरु में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश को श्रीमती शशि शर्मा, प्रधानाचार्य की हद तक तत्काल प्रभाव से एतद द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/16105/मुकुलिका शर्मा व अन्य/2019 दिनांक: 18.8.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/जोधपुर/चूरु संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/चूरु/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर/चूरु/बाडमेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)